मेरठ विकास प्राधिकरण

की

9वीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 2—2—79

का

कार्यवृत्त

दिनाँक 2-2-79 को मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही का विवरण

स्थान : कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, दास मोटर्स बिल्डिंग, आबू लेन, मेरठ।

समय : 11-00 बजे प्रातः

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :

1-	श्री आर०के०गोयल, आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री आर०एस०माथुर जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	श्री पी०के०पाण्डेय, उपसचिव, आवास अनुभाग-२	सदस्य
4-	श्रीमती मीरा यादव, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य
5-	श्री के०सी०बंसल, अधीक्षक अभि०,सा०नि०वि०	सदस्य
6-	श्री वी०के० गुप्ता, सहयुक्त नियोजक	सदस्य
7-	श्री आर०के०सिंह, प्रशासक, नगरपालिका, मेरठ।	सदस्य
8-	श्री एस०पी०गुप्ता, अधि०अभि०,आवास विकासपरिषद	सदस्य
9-	श्री एस०के०खान, अधिशासी अभि०, विद्युत परिषद, विद्युत खण्ड	सदस्य

1- पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी।

2- पिछली बैठक में निर्देशित मामलों की प्रगति।

2/2/2/2/6 सब्जी मण्डी का वर्तमान स्थान से स्थानान्तरण।

नगर नियोजक से सम्पर्क करके योजना तैयार करवाई जाये तथा प्राधिकरण (हडको) से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करें।

2/2/2/2/7,8 अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में।

अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रगति के सम्बन्ध में सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 10 कालोनियों को सर्वे

प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा 3 कालोनियों का ले-आउट प्लान प्राधिकरण के विचारार्थ प्रेषित किया गया, इस पर यह आदेश हुआ कि शेष सभी कालोनियों का सर्वे कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये । इस कार्य हेतु 3 माह का समय दिया गया हैं प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें श्री के० सी० बंसल, अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री खूब सिंह, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, श्री भारत भूषण, आर्कीटैक्ट प्लानर, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा श्री वी० के० गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, सदस्य बनाये गये है । चारों अधिकारी मिलकर सभी दृष्टिकोण से अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु अपने चैक प्वांइट बनाकर रिर्पोट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे कि प्राधिकरण को इन कालोनियों को नियमित करने में आसानी हों ।

2/2/2/2/11,12,13 हापुड रोड पर प्रथम योजना के प्रथम चरण में भूमि अर्जन करना, कमजोर वर्ग, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिये आवास निर्माण योजना प्रथम योजना के द्वितीय चरण हेतु दिल्ली रोड पर अर्जन के सम्बन्ध में।

भूमि के शीघ्र अधिग्रहण हेतु शासन से अनुरोध किया जाये। आवास योजनाओं के लिये हडको से ऋण प्राप्ति हेतु योजना शीघ्र प्रस्तुत की जाये ।

2/2/2/2/14 आबू नाले को पाट कर व्यवसायिक केन्द्र के रुप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया जाये ।

2/2/2/2/16 दामोदर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण कोष से अंकन रु० 75,000/- रुपये को दिनाँक 30-3-78 में नाले के निर्माण हेतु जमा किया जाना।

प्रस्तावित नाले को आवास एवं विकास परिषद के नाले में मिलाने हेतु योजना तैयार की जाये ।

2/2/2/2/11,12 सूरजकुन्ड एवं जीमखाना मैदान को सौन्दर्य स्थल के रुप में विकसित करने पर विचार।

योजना की रुपरेखा शीघ्र तैयार की जाये।

2/2/2/2/10 मेरठ विकास प्राधिकरण में आर्कीटैक्ट प्लान की नियुक्ति।

अवलोकित।

2/2/2/2/13 मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्य को सुचारु रुप से चलाने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति।

अवलोकित।

2/4 किशनपुरा बस्ती, बागपत रोड, मेरठ के निवासियों के मकानों को गिराये जाने के सम्बन्ध में। यह एक अनाधिकृत बस्ती है जिसका तलपट्ट मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। शासनादेश सं०-7672/37-2-77 दिनाँक 9-2-78 के सन्दर्भ में आदेशार्थ।

अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि 10 कालोनियों का सर्वे प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा 3 कालोनियों का ले-आउट प्लान प्राधिकरण के विचारार्थ प्रेषित किया है। इस पर आदेश हुआ कि शेष सभी कालोनियों का सर्वे कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। इस कार्य हेतु 3 माह का समय दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें श्री के० सी० बंसल, अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री खूब सिंह, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, श्री भारत भूषण, आर्कीटैक्ट प्लानर, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा श्री वी० के० गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, सदस्य बनाये गये है। चारों अधिकारी मिलकर सभी दृष्टिकोण से अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु अपने चैक प्वांइट बनाकर रिर्पोट आगामी बैठक में

प्रस्तुत करेंगे जिससे कि प्राधिकरण को इन कालोनियों को नियमित करने में आसानी हों ।

2/5 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के पत्र सं०-16249/9-3-न०नि०-2/73 दिनाँक 18-2-78 जिसमे उन्होंने मोदीनगर विनियमित क्षेत्र से ग्राम इकला मुहीउद्दीनपुर बहादुरपुर तथा कायस्त बढ्ढा को निकाल कर मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित करने के बिषय में विचार हेतु अनुरोध किया है। आदेशार्थ।

अवलोकित ।

2/6 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक लखनऊ का पत्र 2255/17-5/ब०नि०2/78, दिनाँक 19-6-78 को "पी 4 जोन - कृषि हरित पट्टी तथा एक्सटैक्टिव इन्डस्ट्रीज" दर्शाया गया है जिसके कारण कृषकों को नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त छूट नहीं मिल पा रही है। इस भू-प्रयोग में (एक्सटैक्टिव इन्डस्ट्रीज) शब्द को हटाये जाने के विचारार्थ।

भू-उपयोग में तदनुसार संशोधन हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

2/6 लेखाधिकारी के नोट दिनाँक 8-8-78 जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिये निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता दर्शायी गयी है।

पद का नाम	सं०	वेतनक्रम
स्टेनो	1	250-425
अर्दली	1	165-215
(पूर्णकालिक सचिव के लिये)		

अवलोकित ।

2/10 मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय के लिये वर्तमान नगरपालिका, मेरठ से अंकन 857/- रुपये मासिक किराये पर है परन्तु यह भवन इस कार्यालय की वर्तमान एवं बढती हुए आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसके स्थान पर एक अन्य भवन आबू लेन, मेरठ में किराये पर लिये जाने का प्रस्ताव है जिसका विस्तृत विवरण सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया है जो लगभग 2000/- रुपये मासिक किराये के सम्बन्ध में है।

स्वीकृत।

2/11 श्री प्रेम नाथ, अध्यक्ष वर्मा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, मेरठ द्वारा मानचित्र सं-3257 जिसमें उन्होंने जली कोठी क्षेत्र मेरठ में दूकानों का निर्माण प्रस्तावित किया है। अपने पत्र दिनाँक 15-11-78 के साथ उन्होंने एक बैनामे की फोटो स्टेट नकल प्रस्तुत की है जिससे विदित होता है कि उक्त भूमि सोसायटी ने पुनर्वास विभाग से अंकन 18756/- रुपये में दिनॉक 19-10-72 को क्रय की थी। प्रशासक, नगरपालिका, मेरठ एवं तत्कालीन सचिव ने अपने नोट दिनाँक 30-5-78 द्वारा उक्त भूमि पर नगरपालिका का अधिकार बताया है। इस मामले में जिला राजकीय अधिवक्ता की राय ली गयी है, जिसमें उन्होंने नगरपालिका के उक्त अधिकार को नहीं माना है। आदेशार्थ।

अवलोकित।

2/12 उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट की धारा-20(2) के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा सचिव को शक्तियों का प्रतिनिधायन (परिशिष्ट "अ" के अनुसार)।

स्वीकृत।

3- बर्ष 1978-79 का संशोधित बजट आवश्यक टिप्पणियों सहित संलग्न है। स्वीकृतार्थ।

बर्ष 1978-79 का संशोधित बजट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बजट में योजना बनाने हेतु 4 लाख रुपये के प्रस्तावित बजट से निकाला जाये। शेष बजट स्वीकृत किया गया।

4- प्राधिकरण के संकल्प सं०-10 दिनाँक 12-7-77 के अनुपालन में उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम (यू० पी० एस० आई० डी० सी०) द्वारा खेल सामग्री योजना के अन्तर्गत स्थल पर प्लाटस के सैट बैक आदि में छूट आगे एवं पीछे सैट बैक में क्रमशः चैक पोस्ट (गार्ड रुम) तथा गैराज आदि की अनुमति दिया जाना आदेशार्थ।

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा खेल सामग्री योजना के अन्तर्गत प्लाटस के सैट बैक्स में छूट एवं आगे एवं पीछे सैट बैक में कमशः चैक पोस्ट (गार्ड रुम) आदि एवं एक से अधिक प्लाटस में एक उद्योग स्थापित करने हेतु तथा उनमें साईड के सैट बैक में छूट के मामलों पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यू०पी०एस०आई०डी०सी० अपने समस्त बाँछित को दर्शाते हुए संशोधित तलपट मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय, मेरठ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करें और इन मामलों में उपाध्यक्ष महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मेरठ की महायोजना शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और औद्योगिक भवनों की सैट बैक में छूट का अधिकार केवल शासन को दिया गया है। छूट केवल शासन द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार सैट बैक आदि में छूट के मामले शासन को प्रेषित करने होंगे। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि सैट बैक के सम्बन्ध में छूट देने हेतु अधिकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय को होना चाहिए। अतः शासन को इन शक्तियों का प्रतिनिधायन करने हेतु लिखा जाये।

5- प्राधिकरण के संकल्प संख्या-14 दिनाँक 3-3-78 के अनुपालन में स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटैक्चर, नई दिल्ली के डायरेक्टर के पत्र सं०-576/आर०एस०डब्ल्यू०/एस०पी०ए०/11, दिनाँक 8-12-78 द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें दाँतल ग्राम के खसरा नं०-46/2 पर 10 प्रदर्शन गृह समूह निर्माण हेतु भूपयोग में संशोधन की अनुमति दी गयी थी। उक्त खसरा नं०- किसी सोसायटी की भूमि है अतः खसरा नं०- 46/1 पर उक्त निर्माण तथा भूउपयोग के संशोधन की स्वीकृति उन्होंने चाही है। आदेशार्थ।

स्वीकृत।

6- भूमिया पुल के निकट मार्ग के दोनों ओर 8300 वर्गगज भूमि, जोकि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु व्यवसायिक (दूकानों की) योजना हेतु उपर्युक्त है। महायोजना में भी इस स्थल को बी-1 दिखाया गया हैं भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।

स्वीकृत।

7- मेरठ एक बडा शहर है और प्राधिकरण के पास केवल तीन अवर अभियन्ता हैं सहायक अभियन्ता का पद भी रिक्त है एवं ड्राफटसमैन अवर अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहा है। एक अवर अभियन्ता सर्वे का कार्य कर रहा है। शहर में अनाधिकृत निर्माण काफी मात्रा में बढता जा रहा है एवं नवीन योजनायें तैयार करने में भी अवर अभियन्ता, ड्राफटसमैन एवं ट्रेसर की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों के पदों का स्वीकृत किया जाना।

क्र०सं०	पद का नाम	संख्या	वेतनक्रम
1-	अवर अभियन्ता	1	300-8-340-ई०बी०-10-44०ई०बी०12-500
2-	ड्राफटसमैन	1	240-8-280-ई०बी०-9-370-10-400-12-424
3-	ट्रेसर	1	200-5-250-ई०बी०-6-280-ई०बी०-8-320
4-	अनुचर	2	165-2-185-ई०बी०-3-215

स्वीकृत ।

8- प्राधिकरण में योजनायें बनाने एवं मानचित्रों की अमोनिया प्रतियाँ निकालने में अत्यन्त कठिनाईयाँ आती है । बजट में अमोनिया मशीन के लिये अंकन 15,000/- रुपये स्वीकृत हैं । प्राधिकरण के लिये निम्नलिखित सामग्री क्रय करने हेतु प्रेषित हैः-

नाम	संख्या	अनुमानित मूल्य
अमोनिया प्रिन्ट मशीन (तीन टयूब वाली)	एक	15,000-00
ड्राईंग बोर्डस, टी स्क्वायर्स एवं ड्राफिट्ंग चेयर्स	तीन	2,000-00 प्रत्येक

स्वीकृति हेतु ।

9- मेरठ महायोजना को सजरे पर ड्राफ्ट करने के उपरान्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं किया गया है जिसके महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग की जानकारी कर पाना सम्भव नहीं होता और मानचित्रों एवं भूउपयोग की जानकारी करने के लिये आये पत्रों के निस्तारण में परेशानी होती है। इतना ही नहीं अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने अथवा प्राधिकरण की योजनाओं को बनाने में भी परेशानी होती है। अतः सहयुक्त नियोजक, मेरठ को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि वे सजरा पर महायोजना अबिलम्ब प्राप्त करें तथा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दें। समय-समय पर महायोजना के अनुसार भूउपयोग की जानकारी हेतु सहयुक्त नियोजक, मेरठ

को भूउपयोग आख्या इसी कार्यालय को प्रेषित करने हेतु कहा जाता रहा है किन्तु सहयुक्त नियोजक इस सम्बन्ध में अपनी आख्या नहीं देते हैं जिससे सर्वसाधारण एवं मानचित्रों के निस्तारण में बिलम्ब होता है। बहुत से मामले कई माह से लम्बित पडे है।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नियोजक, मेरठ महायोजना को भूउपयोग दर्शाते हुए सजरा पर ड्राफ्ट करें। महायोजना के सजरे पर ड्राफट होने के अभाव में जनता को नक्शे पास कराने में बिलम्ब होता है तथा प्राधिकरण को भी इससे सम्बन्धित वादों के निस्तारण करने में कठिनाई होती है। अतः यह कार्य शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। महायोजना को सजरे पर ड्राफट करने के लिये सहयुक्त नियोजक ने 3 माह का समय चाहा है, जिसे कि प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। सहयुक्त नियोजक ने महायोजना को ड्राफट करने में बाँछित सजरे उपलब्ध न होने की समस्या बतायी है। इस सम्बन्धमें श्री पी०के०पाण्डेय, उपसचिव, उ०प्र० शासन ने यह सुझाव दिया कि सजरे की आवश्यक नकल का प्रार्थना-पत्र दे दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्राधिकरण वहन करें। यह भी आदेश हुआ कि इस सम्बन्ध में सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आर्कीटैक्ट प्लानर सहयुक्त नियोजक को पूर्ण सहयोग दें। प्राधिकरण ने यह भी आदेश दिये हैं कि जब तक सजरे पर ड्राफट महायोजना तैयार नहीं हो जाये तब तक प्राधिकरण द्वारा बाँछित सभी प्रार्थना-पत्रों पर भूउपयोग की जानकारी सहयुक्त नियोजक प्राधिकरण को देते रहेंगे।

10- मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में परेशानी।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय दिया गया किं इन समस्याओं को विशेष उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जाये ताकि इस बिषय पर विस्तृत अध्ययन एवं समस्याओं का हल भी प्रस्तुत किया जा सके।

11- मेरठ महायोजना में प्रस्तावित भूउपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कोआपरेटिव हैण्डलूम इन्डस्ट्रीज एस्टेट के प्रार्थना-पत्र में बाँछित भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में स्वयं आवश्यक निर्णय ले लें।

12- प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के सर्वे हेतु पाँच सर्वे मेट अस्थायी रुप से उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से सेवा में लगा लिये गये है। इनके वेतन पर लगभग 1125/- रुपये प्रतिमाह का व्यय आता है जिसका प्राविधान संशोधित बजट में कर लियागया है। पदों की स्वीकृति हेतु।

स्वीकृत।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।